भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 903

जिसका उत्तर 07.12.2023 को दिया जाना है

टोल संग्रहण में हुआ नुकसान

903. श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री संजय जाधव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से अब तक टोल संग्रहण से होने वाली आय में हुई अनुमानित हानि का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान टोल संग्रहण कितनी अवधि के लिए स्थगित किए गए थे;

(ग) उक्त नुकसान को कम करने/प्रतिपूर्ति करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कोविड अवधि के दौरान और उसके बाद आज की तिथि तक एकत्र किए गए टोल टैक्स का ब्यौरा क्या है;

(ड.) उक्त अवधि के दौरान विरोध प्रदर्शनों के कारण विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने दिनों तक टोल प्लाजा बंद रहे थे;

(च) इसके परिणामस्वरुप आय की अनुमानित हानि कितनी है; और

(छ) क्या सरकार ने इसके टोल-वार और राज्य-वार आंकड़े संकलित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) प्रयोक्ता शुल्क (टोल) का संग्रहण प्रयोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण एजेंसी के माध्यम से किया जाता है और सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजा के मामले में प्रेषण ठेका अनुबंध की शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। तथापि**,** बाढ़**,** भूकंप**,** महामारी आदि जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में एजेंसी को अनुबंध समझौते की शर्तों के अनुसार प्रेषण में राहत दी जाती है। संविदात्मक दायित्वों के अनुसार छूट/राहत दी जाती है।

(ख) पूर्ण लॉकडाउन के दौरान **26.03.2020 (09:00** बजे) से **19.04.2020 (24:00** बजे) अर्थात **24.625** दिनों की अवधि के लिए प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण बंद कर दिया गया था।

(ग) सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कोविड की पहली लहर के दौरान अप्रत्याशित घटना की स्थिति में राहत देने के लिए दिनांक **28.05.2020** को नीति दिशानिर्देश जारी किए थे।

(घ) कोविड अवधि के दौरान और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का विवरण इस प्रकार है **:**

क्र. सं.	वि. वर्ष	शुल्क संग्रहण (करोड़ रु. में)
1	वि. व. **2019-20**	**27695.00**
2	वि. व. **2020-21**	**27920.17**
3	वि. व. **2021-22**	**33881.20**
4	वि. व. **2022-23**	**46998.03**
5	वि. व. **2023-24 (**नवंबर**, 23** तक**)**	**35645.05**

(ड.) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजा का विवरण**,** जो विरोध के कारण निष्क्रिय रहे**,** अनुबंध में दिया गया है।

(च) और (छ) जैसा कि क्रमांक (क) में बताया गया है।

अनुबंध

'टोल संग्रहण में हुआ नुकसान' के संबंध में श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री ओम पवन राजेनिंबालकर और श्री संजय जाधव द्वारा दिनांक 07.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 744 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	प्लाजा का नाम	राज्य	दिनों की सं.
1	पद्मानवपुर	ओडिशा	**93**
2	सुखुआपाढ़ा	ओडिशा	**105**
3	झारपोखरिया	ओडिशा	**262**
4	लोमशिनोंग टोल प्लाजा	मेघालय	**171**
5	बानुशी शुल्क प्लाजा	उत्तराखंड	**20**
6	कोयला शुल्क प्लाजा	उत्तर प्रदेश	**20**
7	पुरैनी टोल प्लाजा	उत्तर प्रदेश	**23**
8	रारा-458 पर बंथाड़ी	राजस्थान	**228**
9	रारा-458 पर तमडोली	राजस्थान	**93**
10	रारा **-89** पर बड़ी घाटी और बुटाटी	राजस्थान	**200**
11	छह एमएल	राजस्थान	**342**
12	लाठी	राजस्थान	**88**
13	रामदेवरा	राजस्थान	**88**
14	जहोकाली (ईपीई)	दिल्ली	**457**
15	अजीजपुर	पंजाब	**454**
16	धरेरी जट्टन	पंजाब	**454**
17	कालाझार	पंजाब	**95**
18	भगोमाजरा	पंजाब	**95**
19	घुलाल	पंजाब	**456**
20	मिलक माजरा	पंजाब	**353**

21	जलोली	पंजाब	353
22	पैंड	पंजाब	86
23	दप्पर	पंजाब	428
24	बेहरामपुर	पंजाब	431
25	चांदीमंदिर	हरियाणा	352
26	बेहराम	पंजाब	457
27	बचुआन	पंजाब	450
28	चक बामनिया	पंजाब	447
29	निज्जरपुरा	पंजाब	231
30	उस्मा	पंजाब	407
31	कराहेवाला	पंजाब	4
32	फिरोजशाह	पंजाब	35
33	दारापुर	पंजाब	71
34	जगजीतपुरा	पंजाब	192
35	बदबार	पंजाब	181
36	शेखपुरा	पंजाब	198
37	खुऐन सरवर	पंजाब	43
38	सैनी माजरा	हरियाणा	352
39	थाना	हरियाणा	352
40	भागन टोल छूट	हरियाणा	346
41	खटकर	हरियाणा	364
42	पिऑंट	हरियाणा	360

*****